

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2231
13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बढ़ते आयात के कारण इस्पात का बिना बिका स्टॉक

2231. श्री राघव चड्ढा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय इस्पात कंपनियां बढ़ते आयात के कारण बिना बिके हुए स्टॉक से जूझ रही हैं;
- (ख) विशेष रूप से भारत के साथ व्यापारिक समझौते वाले देशों से इस्पात आयात में वृद्धि के क्या कारण हैं;
- (ग) घरेलू इस्पात उद्योग को सहायता प्रदान करने और आयात के संबंध में अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू इस्पात क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लागू किए गए प्रशुल्कों, सुरक्षा उपायों या पाटन रोधी उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) स्टॉक संबंधी मुद्दों को हल करने और भारत के इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित दीर्घकालिक कार्यनीति क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)

(क) से (ड.): इस्पात एक नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात के संबंध में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिया जाता है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के लिए भारतीय इस्पात कंपनियों के पास तैयार इस्पात के स्टॉक संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

स्थिति के अनुसार	तैयार इस्पात स्टॉक (एमएनटी में)
31.03.2020	13.69
31.03.2021	8.97
31.03.2022	7.99
31.03.2023	10.59
31.03.2024	14.29
30.11.2024*	14.23

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम

पिछले पांच वर्षों में घरेलू इस्पात क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लागू किए गए प्रशुल्कों, सुरक्षा उपायों या पाटन रोधी उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- (i) वर्तमान में, इस्पात उत्पादों पर 5% से 15% तक का मूल सीमा शुल्क लगता है, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर 20% से 27.5% की सीमा में सीमा शुल्क लगता है;
- (ii) कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, लौह के पाइप और होलो प्रोफाइल, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के खोखले प्रोफाइल (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम व थाईलैंड से) से संबंधित पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।
- (iii) चीन और वियतनाम से आयातित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।
- (iv) केंद्रीय बजट 2024-25 में, घरेलू विनिर्माताओं का समर्थन करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

क. फेरो-निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों व सांद्रों, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल हैं, पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ख. फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

ग. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट दिनांक 31.3.2026 तक जारी रखी गई है। इसके अलावा, टैरिफ मद 7226 11.00 के अंतर्गत आने वाले सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर भी छूट बढ़ा दी गई है।

सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को समर्थन देने तथा भारत के इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- i. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन।
- ii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ किया जाना। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिसमें विशेष इस्पात के लिए लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) की डाउनस्ट्रीम क्षमता का निर्माण शामिल है।
- iii. घरेलू इस्पात उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए आयात की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) 2.0 का पुनरुद्धार किया जाना।

- iv. अधिक अनुकूल शर्तों पर इस्पात विनिर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- v. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रेप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
- vi. इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरुआत, जिसके तहत घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही आयात पर भी रोक लगाई गई है, ताकि उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की तारीख तक, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील और स्टेनलेस स्टील को कवर करते हुए 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।
